संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,

शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव -362 520

सं0. शिक्षा/जि.पं./म.भो./ ई.-निविदा/2016-17/711 **दिनांक :- 08/12/2016**

<u>2016-17 का ई निविदा ऑन लाईन आमंत्रण सूचना सं0. 01</u>

भारत के राष्ट्रपति की ओर से शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव द्वारा दीव जिला के सभी प्राथमिक/ अपर प्राथमिक विधयालयों में मध्याहन् भोजन योजना के तहत अनुपूरक खाध् पदार्थो की आपूर्ति हेतु एजेंसियो/ डीलरों/ आपर्तिकर्तोओं से https:/daman.nprocure.com पर ऑन-लाईन मोहनबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा सूचना एवं इससे संबंधित शर्तें www.diu.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ऑन -लाईन निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की तारीख (Online downloading of Tender Document)	08 दिसंबर 2016 को 16:00 बजे से 20 दिसंबर 2016 को 11:00 बजे तक
ऑन -लाईन निविदा प्रस्तुत करने एवं बोली की प्रापति की अंतिम तारीख एवं समय (On line submission of Tender- Last date & Time for Receipt of Bids)	20 दिसंबर 2016 को 12:00 बजे तक
ऑन-लाईन बोली बाली दर खोलने की तारीख (On line Opening of Price Bids)	20 दिसंबर 2016 को 15:00 बजे से

* बोली लगानेवाले को बोली इलेक्टॉनिक प्रारूप मे **https://daman.nprocure.com** पर बोली लगाने की अंतिम तारीख एव समय तक दर प्रस्तुत कर देनी होगी। मूल्य बोली प्रत्यक्ष रूप से किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा।

निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) तकनीकी बोली, अमानत राशि एवं नमूना एवं अन्य संबंधित दस्तावेज के साथ तकनीकी बोली प्रत्यक्ष रूप में पंजीकृत पावती डाक /स्पीड पोस्ट/ दस्तीतौर से 20 दिसंबर 2016 को 11:00 बजे तक शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत दीव के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि निविदा आमंत्रित करनेवाला प्राधिकारी डाक विलंब की स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। निविदाकार दिनांक 20 दिसंबर 2016 को 12:00 बजे तक या इससे पूर्व उपर्युक्त दस्तावेज शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में भी डाल सकता है।

निविदा आमंत्रित करनेवाले प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए प्राप्त किसी एक निविदा या सभी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

बोली लगानेवाली पार्टी ई-मेल पता :- **mdm_diu@yahoo.com & edndp_diu@yahoo.com** पर दिनांक 18 दिसंबर 2016 को 11:00 बजे तक अपनी शिकायत दे सकता है ।

यदि बाली लगानेवाली पार्टी ऑन-लाईन निविदा में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, स्पष्टीकरण/ प्रशिक्षण लेना चाहती हो, तो वह इस संबंध में निम्नलिखित कार्यालय से संपर्क कर सकती है :-
1. कोड सॉल्यूशन, ए डीवीजन, जीएनएफसी लि0.
प्रोक्योर शेल, 403 जीएनएफसी इंफो टावर,
एसजी रोड, बोडकदेव,
अहमदाबाद 380054 (गुजरात)

<u>फोन न0.</u>
एयरटेल +91-79-40007501, 40007512, 40007516, 40007517, 40007525
बीएसएनएल +91-79-26854511, 26854512, 26854513 (Ext. 501, 512, 516, 517 and 525)
रिलायंस +91-79- 30181689
फैक्स +91-79-26857321 40007523 ई-मेल - riprocure@hcode.in
टॉल फ्री न0. 1-800-233-1010 (एक्सटेंशन 501, 512, 516, 517, एवं 525)

शिक्षा अधिकारी
जिला पंचायत,
दीव.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,

शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव -362 520

मध्याह्न भोजन योजना 2016-17 के कार्यान्वयन हेतु अनुपूरक खाध् पदार्थो(FOOD STUFF) की खरीद से संबंधित शर्त्तें

सं0. शिक्षा/जि.पं./म.भो./ ई.-निविदा/2016-17/712 **दिनांक :- 08/12/2016**

ई-निविदा पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार को तकनीकी बोली शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(क) "**वित्तीय बोली** (FINANCIAL BID) " के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन करना होगा। शर्त्तों के अनुसार तकनीकी बोली संबं धी दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेंट के साईट से ऑन-लाईन अपलोड (स्कैन प्रति) किया जाए।

(ख) "**तकनीकी बोली** (TECHNICAL BID) " में सफल और प्रस्तुत किए गए नमूने की जाँच एवं इसके सत्यापन के बाद ही **वित्तीय बोली** (FINANCIAL BID) खोली जाएगी ।

योग्यताएं (ELIGIBILITY) :-

1. नीचे दी गई योग्यताएं होनी चाहिए :-
 (क) बोली लगानेवाले को बिक्री कर / वैट कर के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 (ख) बोली लगानेवाला पिछले 03 साल से सामग्रियों / आईटमों का निर्माता / प्राधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए।

2. अनुपूरक खाध् पदार्थो के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 2000/- रूपये का जारी मांगपत्र (अप्रतिदेय) को तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत कर शर्त सहित निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://daman.nprocure.com पर से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. सभी प्रकार से पूर्ण निविदा प्रपत्र के साथ खाध पदार्थोंके लिये निमनिलिखित क से ड तक दस्तावेज / प्रमाणपत्र होना चाहिए :-
 (क) आयकर शोधन प्रमाणपत्र और इसके साथ पिछले तीन साल का आयकर विवरणी की प्रति
 (ख) टीन नम्बर / पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति **(एटेस्टेड कॉपी)**
 (ग) बिक्री कर / वैट कर मे पंजिकरण होना चाहिये
 (ध) खाध अनुग्राप्तिधारी होना चाहिये
 (ड) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट सामग्रियों के लिए जारी लाइसेंस/ ट्रेड लाइसेंस नया होना चाहिये

4. (क) खाध पदार्थो (**संलग्नक-1 के अनुसार/ As per Annexure-I Rs.1,04,910 रूपये**(3%)) की खरीद हेतु अमानत राशि के रूप में शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये का जारी मांगपत्र या मियादी जमा रसीद निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा। अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा अवैद्ध/ रद्द समझा जाएगा।

5. निविदाकार को निविदा जमा करने के समय खाद्य सामग्रियों का नमूना (500 ग्राम सभी खाद्य सामग्रि एवम 50 ग्राम मसाले) शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के कार्यालय में अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदाकार द्वारा उनकी फर्म की प्रकृति तथा मालिक / भागीदार / निदेशकों और सिस्टर कंसर्न यदि हो तो उसका नाम एवं पता दिया जाए।

7. बिक्री कर / वैट कर का भुगतान उन्हीं सामग्रियों के लिए किया जाएगा जिस पर केन्दीय बिक्री कर अधिनियम /वैट अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियम के तहत उपर्युक्त में से कोई भी कर लगाया जाता है।

8. सामग्रियों के लिए दिए जानेवाले दर में दीव जिला के प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राथमिक विद्यालय तक छोड़ने का दर भी शामिल होना चाहिए। दिया गया दर आपूर्ति आदेश के अनुसार वैद्ध एवं लागू होना चाहिए।

9. (क) बोली लगानेवाले द्वारा सभी प्रकार के कर सहित मानक ब्रांड वाले सामग्रियों के लिए ही दर दिया जाना चाहिए।

10. बोली लगानेवाले को यह सुनिश्चत कराना होगा कि वह निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी निश्चय ही प्रस्तुत करेगा।

मुहरबंद(तकनीकी बोली) शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के कार्यालय में प्रस्तुत करे।

वित्तीय बोली ई- प्रोक्योरमेंट ऑन-लाईन के माध्यम से ऑन-लाईन आवेदन करना होगा।

(क) तकनीकी बोली (FINANCIAL BID) :- तकनीकी बोली में सभी प्रकार के तकनीकी ब्यौरा शामिल हो

तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज (DOCUMENT TO SUBMITTED ALONGWITH TECHNICAL BID)

i. शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के पक्ष में जारी निविदा शुल्क की आवश्यक राशि से संबंधित मांगपत्र

ii. उपर पैरा 3 से 5 में दिए गए सभी दस्तावेज

iii. तकनीकी स्पेशीफिकेशन का अनुपालन

अनुपालनात्मक विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाए :-

पैरा न0.	टी.ई. के अनुसार स्पेशीफिकेशन	दिया गया स्पेशीफिकेशन	अनुपालन हॉ /नहीं	अनुपालन नही करने की स्थिति में टी.ई. स्पेशीफि- केशन से वि चलित होने का स्पष्ट संदर्भ

11.केन्दीय बिक्री कर के सिवाय राज्य या राज्य के बाहर सामग्रियों की बिक्री या परिवहन पर लगनेवाले सभी प्रकार के करों /शुल्कों/ रायल्टी प्रभार आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।

12.दिए गए दर के अलावे सामगियों की पैकिंग/ इसे भेजने एवं इसकी बीमा आदि के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

13.दर उन्हीं आइटमों सामग्रियों के लिए दिया जाना चाहिए जो इस विभाग द्वारा सूची के अनुसार माँगी गई है।

14.विनिर्दिष्ट किए गए स्पेशीफिकेशन/ बना हुआ/ निर्माता के अलावे किसी अन्य के लिए दिया गया दर स्वीकार नहीं होगा। फिर भी देशी निर्माता उनके द्वारा बनाए गए सामग्रियों के लिए दर दे सकता है लेकिन दर देने से पूर्व सामग्री की मानक गुणवता एवं आवश्यकता की दृष्टि से विनिर्दिष्ट किए गए उपर्युक्त सामग्रियों की स्पेशीफिकेशन या अन्य के लिए पूर्व में ही पुष्टि करा लेनी होगी।

15.इस कार्यालय द्वारा जिन सामग्रियों के लिए स्पेशीफिकेशन/ बना हुआ/ निर्माता विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनके लिए मानक गुण वाले सामग्रियों का ही दर दिया जाना चाहिए।

16.निविदा लेटर हेड पर स्पष्ट रूप से टाईप किया होना चाहिए। लेटर हेड पर आपूर्तिकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर होना चाहिए। निविदा में किसी भी प्रकार के लिखे पर लिखा, इसमें सुधार या मिटाने जैसी कोई गड़बड़ी होने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17.शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीवको यह अधिकार है कि स्पेशीफिकेशन, मानक, एवं गुण आदि के अनुसार आपूरित किए गए सामग्रियों में से किसी भी सामग्री को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।

18.निविदा समिति निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियो इसमें से जो कोई भी शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के कार्यालय में उपस्थिति हों, की उपस्थिति में निविदा खोलेगी। निविदा समिति सामग्रियों की तकनीकी स्पेशीफिकेशन को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोलेगी। इसके बाद समिति उन्हीं फर्मो की वित्तीय बोली को खोलेगी जो विभाग द्वारा दिए गए न्यनतम स्पेशीफिकेशन के अनुसार तकनीकी बोली में सफल हुए हों।

19.शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत किए गए दर या इसके लिए कोई नेगोशियशन होता है, तो इस दौरान कम दर पर सम्पूर्ण मात्रा या इसके कुछ मात्रा / भाग के के लिए निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20.संबंधित निविदा सूचना के सापेक्ष में सफल बोलीकर्ता द्वारा दिया गया दर स्वीकार करते हुए यह मान लिया जाएगा कि निविदाकर्ता को वैधानिक उद्देश्य से आपूर्ति के लिए सभी शर्तें मंजूर है।

21. (क) सफल निविदाकारों को आपूर्त आदेश में उल्लेखित सामग्रियों की कुल मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत तक के बराबर की राशि आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव के पक्ष में अमानत राशि के रूप में एफडीआर जमा करानी होगी।

(ख)नियम समय सीमा तक अमानत राशि के प्राप्त नहीं होने पर आपूर्ति आदेश बिना किसी सूचना दिए स्वत: निरस्त हो जाएगा।

22.सफल बोली लगोनवाले को इस विभाग द्वारा विनिदिष्ट सामग्रियों/आइटमों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर करनी होगी।

23.किसी हालत में आपूर्ति आदेश मिलने के बाद आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो आपूर्तिकर्ता की अमानत राशि सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जाएगी और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए किया दोनो पार्टियों की बीच किया गया करार बिना किसी देनदारियों के रद्द कर दिया जाएगा।

24.सफल बोलीकर्ताओं की अमानत राशि निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर लिया जाएगा:-

(क) हस्ताक्षरित करार नहीं करने पर

(ख) अमानत राशिं समय पर नहीं भेजने पर

25.वैसे बोलीकर्ताओं जिनकी निविदा स्वीकार नहीं होती है उनकी अमानत राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

26.विनिर्दिष्ट सामग्रियों / आइटमों के लिए गारंटी / वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद संबंधित आइटमों के लिए अमानत राशि वापस कर दी जाएगी। इसके अलावे अन्य सामग्रियों के लिए अमानत राशि सामग्रियों की संतोषजनक आपूर्ति या दोनो पार्टियों के बीच आपसी करार के दौरान नियत तारीख/ समय के बाद जारी कर दी जाएगी।

27.शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव माँगे जाने पर अमानत राशि जमा करने की अवधि का बढ़ा सकता है। तथापि इस प्रकार के विस्तार का इंकार करने पर आपूर्तिकर्ता को अमानत राशि जमा करने की नियत समय का पालन करना होगा और नियत समय सीमा का पालन नहीं किए जाने के कारण सरकार को यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो आपूर्तिकर्ता को ही इसकी भारपायी करनी होगी।

28.शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव द्वारा आपूर्ति की समया-सीमा बढ़ाने के लिए अधिकतम एक महीने के लिए आपूर्ति-आदेश ज़ारी होने की तिथि से विचार किया जाएगा । समय-सीमा बढ़ाने का अनुमोन सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर है । इस प्रकार का अनुरोध समय एवं परिसथितियों पर निर्भर करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार का अनुरोध पर्याप्त समय से पहले किया गया हो एवं इस मामले पर उनका निर्णय अंतिम होगा । यदि आपूर्ति हेतु समय-सीमा बढ़ायी जाती है, तो विलंब से उक्त सामग्रियों की आपूर्ति करने पर आदेश हेतु आपूर्ति की सामग्रियों की कीमत का 5 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के तौर पर वसूल किया जाएगा ।

29.यदि भेजे गए दस्तावेजों की प्रापति विलंब से होती है, तो शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव द्वारा विलंब प्रभार भुगतान किये जाने पर उक्त राशि आपूर्तिकर्ता के बिल से वसूल किया जाएगा।

30.आदेश में विनिर्दिष्ट को छोड़कर निम्न एवं घटिया स्तर की खाध पदार्थो की आपूर्ति एवं या अपूर्ण या सड़े-गले या टूटे-फूटे होने पर सामग्रियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्रियों की आपूर्ति अपने ही खर्च एवं जोखिम पर करना पड़ेगा । आपूर्तिकर्ता को किसी भी अस्वीकृति भंडार, सामग्री एवं उपकरण आदि की की सूचना स्टोर की प्रापति तिथि से 10 दिनों के भीतर दी जाएगी एवं आपूर्तिकर्ता को प्रेषित किये गए अस्वीकृत सामग्री सूचना प्राप्त के 15 दिनों के भीतर अपने ही लागत एवं जोखिम पर सामग्रियों को वापस लेना होगा । यदि प्रतिस्थापित सामग्रियों को सहायक निदेशक (शिक्षा), जिला पंचायत, दीवसे किये गए पत्रव्यवहार की तिथि से 15 दिनों के भीतर वापस नहीं लिया जाता है, तो ऐसी सामग्रियों में किसी प्रकार की क्षति या हानि होने पर शिक्षा अधिकारी जिम्देदार नहीं होंगे ।

31.खाध पदार्थो के आपूर्ति आदेश जारी होने के बाद यदि किसी भी समय आदेश में विनिर्दिष्ट में पूरे या कुछ मात्रा अपेक्षित न होने पर शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव आपूर्तिकर्ता को सही तथ्यों को लिखित रूप में नोटिस देगा एवं आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गई सामग्रियों पर जो भी लाभ हो, चाहे जो भी इसके कारण इसके लिए वे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं करेंगे एवं ना ही उस सामग्री पर दावा करेंगे,जो खरीदी नहीं गई है।

32.करार-समापति

(क)यदि उललिखित शर्तो के तहत् आपूर्तिकर्ता अस्वीकृत सामग्रियों को बदलने में असफल होता है, तो ऐसी सथिति में सरकार की हुई हानि की भरपाई आपूर्तिकर्ता की जमानत राशि से या किसी भी भुगतान बिल से वसूल कर ली जाएगी ।

(ख)उललिखित शर्तों के अनुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर यदि भंडार, सामग्रियों एवं उपकरणों आदि की आपूर्ति करने में असफल होते हैं, तों शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत,दीवके द्वार लिये गए निर्णय के अनुसार

उक्त सामग्री को किसी दूसरे निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किये गए परवर्ती उच्च दर से मंगायी जाएगी एवं ऐसी सामग्रियों की खरीद के कारण सरकार की हुई हानि की भरपाई भूतपूर्व आपूर्तिकर्ता की जमानत राशि/बयना राशि या भुगतान बिल से वसूल की जाएगी। आपूतिकर्ता को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

(ग) **यदि दमण एवं दीव द्वारा मध्याहन भोजन योजना को कोइ NGO या फिर मध्य रसोइ घर को सोंपने का निर्यण लिये जाने कि स्थिति मे एक साल का करार चालु या खत्म करने का हक क्रय समिति या सक्षम अधिकारी का होगा,जो बिना शर्त आपुर्तिकार को स्वीक्रुत करना होगा।**

33.इस निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार किसी निविदाकारों द्वारा पहले की किसी निविदा या आपूर्ति आदेश के संदर्भ में की गई जमानत राशि/बयाना जमा राशि का समायोजन इस निविदा में अपेक्षित जमानत राशि/बयना जमा के साथ नहीं किया जाएगा।

34.सभी बिल दो प्रतियों में होने चाहिए एवं इसमें अनिवार्य रूप से आदेश की तिथि एवं संख्या का उल्लेख होना चाहिए

35.5000/- रू. के ऊपर वाले सभी बिल पर पूर्व-पावती होनी चाहिए एवं उस पर अच्छी तरह से राजस्व टिकट लगी स्टांप होनी चाहिए। रू. 5000/- के ऊपर वाले सभी बिल पर पूर्व-पावती पर अच्छी तरह से राजस्व स्टांप नहीं लगे होने पर भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

36.जिस बिल में मूल्य वर्धित कर प्रभारित किया गया हो, उस बिल के ऊपर निम्निलिखित प्रमाण पत्र का उल्लेख होना चाहिए।

'प्रमाणित किया जाता है कि जिन सामग्रियों पर मूल्य वर्धित कर प्रभारित है, उन पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् या इनके तहत् बनाये गए नियमों के तहत् छुट नहीं दी गई है एवं इन वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर की वजह से प्रभारित राशि संगत अधिनियम के प्रावधानों या इसके अर्न्तगत् बनाये गए नियमों के तहत् जो देय है, उससे अधिक नहीं है।'

37.दो पार्टियों के बीच किसी प्रकार विवाद होने पर इसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत् निराकरण सिर्फ दमण एवम दीव के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा।

38.निविदा दस्तावेज (तकनीकी बोली) की मूल प्रति बंद लिफाफे में सील सहित होनी चाहिए एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीवमें भेज दें।

39.**निविदा की स्वीकृति की तिथि से संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता होने पर अवधि सिमा बढाने एवम कभि भि समय पर निविदा रद्द करने का हक क्रय समिति के अध्यक्ष को होगा जिसे आपूर्तिकर्ता को पालन करना होगा।**

40.संबंधित विभाग के अधिकारियों की पूर्व-सूचना के बिना रविवार या अवकाश के दिन कार्य-स्थल के पास से कोई भी सामग्री नहीं लायी जाएगी या सुपुर्द की जाएगी।

41.संविदा में कुछ भी उल्लेख न होते हुए भी ठेकेदार द्वारा निबंधन एवं शर्तों में उललिखित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने पर उन्हें 30 दिनों के भीतर स्पष्ट रूप से लिखित सूचना देकर सरकार ठेका को रद्द कर सकता है।

उक्त करार के किसी भी निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकादार को कम से कम 03 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई करने के पूर्व पहले उन्हें सुनवाई के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। सक्षम प्राधीकारी द्वारा पारित किया गया अंतिम आदेश अंतिम होगा, जो ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

शिक्षा अधिकारी,

जिला पंचायत, दीव

उपर्युक्त शर्ते स्वीकार है एवं मुझे /हमारे लिए बाध्यकारी है।

(आपूर्तिकर्ता/निविदाकार का हस्ताक्षर)

तिथि एवं रबड़ स्टांप.

कृपया अपने निविदा/कोटेशन के साथ इन शर्तो पर विधिवत् तौर पर हस्ताक्षर किये एक प्रति को वापस करें

संलग्नक-1 (Annexure-I)

निविदा नोटिस स. शिक्षा/जि.प./म.भो./ 2016-17/**712** दिनाक: 08/12/2016

क्रम स.	अनुपुरक खाध पदार्थ जैसे अनाज	मानकीकरण आइएँसआइ/ट्रेड मार्क	दर प्रति किलो
01	तुअर दाल	ग्रेड "A"	
02	मुंग दाल	ग्रेड "A"	
03	कोटन सीड ओयल	ग्रेड "A"कीलो	
04	आयोडाएड्ड नमक आइएँसआइ	ग्रेड "A"	
05	हल्दी पाउडर	ग्रेड "A"	
06	लाल मिर्च पाउडर	ग्रेड "A"	
07	वनस्पति घी	आइएँसआइ	
08	राइ	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
09	जीरा (मानक आकार वाला)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
10	इमली(बिना बीज वाला)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
11	जागरी (गुड)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
12	हिंग पाउडर	ग्रेड "A"	
13	मेथी	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
14	खारो/संचुर	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
15	गरम मसाला (पाउडर)	ग्रेड "A"	
16	धनिया पाउडर	ग्रेड "A"	
17	लाप्सी /फादा मिदियम वाली	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
18	चीनी 'एम' मार्क	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली (बडी आकार)	
19	मुंगफली (चमन्दज)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
20	हरा मटर	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
21	मुंग (बडी आकार वाली)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
22	छोले चना (काबुली)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
23	चना दाल	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
24	देसी चना (सफेद)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
25	काला चना	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
26	सोयाबीन वडी	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली	
27	पहुवा	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
28	दुध (1 लिटर)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
29	राजमा	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	
30	सुजी (रवा)	सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला	

नोट : निविदा मे दिये गये प्रत्येक मदो के विर्निदेशन /ब्रांड मे आइएँसआइ गुणवत्ता वाली /मानक स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिये

शिक्षा अधिकारी,
जिला पंचायत, दीव

आपूर्तिकर्ता / निविदाकार का हस्ताक्षर(मोहर सहित)

संलग्नक : बयाना राशि हेतु रुपिये 1,04,910/-

मध्याह्न भोजन योजना 2016-17 के कार्यान्वयन हेतु खाध पदार्थो की खरीद से हेतु निविदा दस्तावेज

शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव

निविदा सूचना सं0. शिक्षा/जि.पं./म.भो./ 2016-17/ 712 **दिनांक 08/12/2016**

तकनीकी बोली (TECHNICAL BID)

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	निविदाकर्ता का पता	
3	ई-मेल	
4	टेलिफोन न0.	
5	मालिक का नाम	
6	स्थापना वर्ष	
7	मांग पत्र सं0. एवं तारीख	
8	मांग पत्र जारी करनेवाले बैंक एवं शहर का नाम	
9	निविदा शुल्क रसीद सं0. एवं तारीख (मांग पत्र)	
10	सीएसटी या वैट सं0. बीएसटी, जेएसटी, डब्ल्यूबीएसटी, पंजीयन केन्द्र	
11	पैन नंबर / टीन नंबर	
12	पिछले 03 साल का आयकर विवरणी	
13	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट सामग्रियों के लिए जारी लाइसेंस/ ट्रेड लाइसेंस के की कॉपी जो 31 मार्च, 2017 तक बैध हो	
14	निविदा के साथ जाँच के लिए नमूने प्रस्तुत करें	
15	i. स्वयं जाँच / प्रमाणित किया हुआ मूल्यांकन रिपोर्ट ii. उपर्युक्त पैरा 3, 4 एवं 5 में दिए गए सभी दस्तावेज	
16	शारीरिक नमुने शर्त स. 5 मुताबिक जोडे	

मैं / हमलोग प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने / हमलोगों ने निविदा प्रपत्र में दिए गए सभी शर्तों एवं उसके नीचे दिए गए अभ्युक्तियों को पढ. लिया /समझ लिया है / लिए हैं और उसे स्वीकार ऑर यह निविदा विचार / स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे हैं। मैं हमलोग प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही है ।

मालिक / स्वामी का हस्ताक्षर ....

फर्म का पूरा नाम
....

पता :-
....
....

दिनांक :- (सील के साथ)

ऑन-लाईन निविदा आमंत्रित सूचना

(NOTICE INVITATION ON-LINE TENDER)

निविदा से संबंधित विवरण (DETAILS ABOUT TENDER)

विभाग का नाम	संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन, शिक्षा विभाग
सर्किल/प्रभाग	जिला पंचायत, दीव, दमण एवं दीव,
आईएफबी सं0. / निविदा सूचना सं0.	शिक्षा/जि.पं./म.भो./ 2016-17/711 दिनांक 08/12/2016
परियोजना का नाम	मध्याहन भोजन, दीव
कार्य का नाम	खाध पदार्थो की आपूर्ति
अनुमानित संविदा मूल्य (रूपया में)	रू. 34.97 लाख रूपया खाध पदार्थो के लिये
पूरा करने की अवधि (माह मे)	12 माह
बोली लगाने का प्रकार	खुला
बोली लगाने की सं0.	02
निविदा मुद्रा प्रकार	एकल
निविदा मुद्रा सेटिंग	भारतीय रू. (एनआर)
संयुक्त	लागू नहीं
छूट	लागू नहीं

राशि ब्यौरा (AMOUNTS DETAILS)

बोली लगाने हेतु दस्तावेज का मूल्य	2,000 रू०. (दो हजार रूपया मात्र)
बोली लगाने हेतु शुल्क का पक्ष में भुगतान	शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव
बोली लगाने हेतु अमानत राशि	रू. 1,04,910/- खाध पदार्थो के लिये
बोली लगाने हेतु अमानत राशि के पक्ष में	शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव

निविदा तारीख (TENDER DATE)

बोली लगाने हेतु दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ तारीख	आटोमेटिक उत्पन्न प्रणाली
बोली लगाने हेतु दस्तावेज डाउनलोड अंतिम तारीख	20/12/2016 (11:00 बजे तक)
बोली लगाने से पूर्व मिटिंग	....
बोली प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	20/12/2016(12:00 बजे तक)
बोली वैध अवधि	01 साल
अभ्युक्ति	शर्त के अनुसार
बोली खोलने की तारीख	20/12/2016 (15:00 बजे)

अन्य ब्यौरा (OTHER DETAILS)

बोली आमंत्रित करनेवाला अधिकारी	शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव
बोली खोलने वाला प्राधिकारी	शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव
पता	शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जिला पंचायत, दीव
संपर्क ब्यौरा	02875-252733